

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला -अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 12/2020 (2020/00033)

रामप्रसाद पुत्र गोपाललाल जाति वैष्णव निवासी मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ~~मौजूदगी~~ जिला अजमेर (राज)

—अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 1.7.21

प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र कालू के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/8029 दिनांक 04.12.2019 से इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। जाँच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल मण्डा/भू.अ.नि.कालेड़ा कृष्ण गोपाल के द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट साथ संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम मोलकिया की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या नया-पुराना 282-222,274-210,234-86 में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र गोपालदास वैष्णव दर्ज किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड संख्य 7329 0175 6608,मामाशाह कार्ड संख्या YMGQOSS,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र TAR/0654467 की जांच करने पर उक्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पुत्र गोपालदास निवासी मोलकिया दर्ज है। जो सही है। अतः प्रार्थी का नाम संवत् 2073-76 की जमाबंदी के खाता संख्या में प्राप्त दस्तावेजों आधार पर तथा ग्रामवासियों से व्यक्तिगत पूछताछ के आधार पर उक्त खाता संख्या नया-पुराना 282-222,274-210,234-86 में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद उर्फ कालू पि० गोपालदास साधू दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।

अतः तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट जो भू०अ०निरीक्षक कालेड़ा कृष्ण गोपाल व पटवारी पटवार मण्डल मण्डा द्वारा मजमे आम में मौतबिरान की मौजूदगी में दिनांक 15.11.2019 को तैयार करवायी गयी है,के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम मोलकिया की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या नया-पुराना 282-222,274-210,234-86 में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र गोपाल दास दर्ज किया हुआ है,के स्थान पर इन खातों में रामप्रसाद उर्फ कालू पुत्र गोपालदास साधू दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार केकड़ी को दिए जाते हैं। अन्य इन्द्राज बदूस्तर रहेगे। तहसीलदार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिक्न अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह परोहित)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)